Viklang Sahara Samiti Delhi

G-Block, Basti Vikas Kendra, Mangol Puri, New Delhi-110083

vist us: vssdnog.org Email:- vssd1994@gmail.com Ph:- 011-41227148

REPORT OF CHILD MARRIAGE

कार्यक्रम की रिपोर्ट
बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया

विकलांग सहारा समिति दिल्ली (Regd. Under Society Registrar Act 1960 of Govt. of NCT of Delhi Regd. No.) यह एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व पंजीकृत है। इसका पंजीकृत कार्यालय जी–ब्लॉक, बस्ती विकास केन्द्र, मंगोलपुरी दिल्ली–110083 है। विकलांग सहारा समिति दिल्ली इस नाम से दैनिक समाचार पत्र और साप्ताहिक समाचार पत्र भी कई सालो से प्रकाशित होते आ रहा है जिसके दिल्ली व दिल्ली से बहार इंटरनेट के माध्यम से असंख्य वाचक है।

स्थापना :–

विकलांग सहारा समिति दिल्ली की स्थापना समाज सेवक श्री कपिल कुमार अग्रवाल जी ने की जो पिछले कई वर्षो से दिव्यांगजनों के हित के लिए कल्याणर्थ कार्य दिल्ली व दिल्ली के बाहर कर रहे है। इन्ही कार्यो को देखते हुए दिल्ली सरकार व भारत सरकार व अन्य विभागों व संस्थानों से पुरस्करो से सम्मनित किया है।

संस्था का कार्यक्षेत्रः–

विकलांग सहारा समिति दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। उपरोक्त संस्था दिव्यागं जन/बुर्जुग/महिला/युवाओं के लिए कल्याणार्थ के कार्य करती आ रही है, एवं उनके अधिकारों को प्राप्त करने हेतु उन्हें जागरूक करती है साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उन्हें विधिवत सहायागे करती है।

संस्था का उद्देश्यः–

संस्था का उद्देश्य दिव्यांगजनों के विरूद्ध होने वाले अत्याचार, वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुराचार व कम आयु के बाल/बालिकाओं के साथ हाने वाले विभिन्न अपराधो (बाल विवाह कन्या भ्रणू हत्या, बाल मजदूरी, बाल यौन उत्पीड़न कामगारों के अधिकारों के हनन के मामलों व किसी भी प्रकार का भदे भाव चाहे वह जाति का हो या दिव्यागंता का, दलितों या पिछड़ी जातियो के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों, अल्पसंख्यकों से जुड़े अधिकार, सरकारी अधिकारियों द्वारा तय सीमा में अपने कार्यो का निर्वहन ना करना, मलू भूत आवश्यकता यथा बिजली, पानी, सडक, सुरक्षा, शिक्षा इत्यादि के लिए निश्पक्ष व निर्भीक होकर कार्य करती है। इन सभी कार्यो में संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयागे, राष्ट्रीय अनूसूचित जाति जनजाति आयागे, कामगार आयागे, विधि सेवा आयागे जैसे राष्ट्रीय व राज्यो द्वारा स्थापित आयागे के सहयागे से नागरिकों के लिए न्याय की व्यवस्था करना है। संस्था का मूल उदे्श्य जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर भ्रष्टाचार पर अकुंश लगाना है। जिसके लिय जनसहायोग आवश्यक है।

बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया

विकलांग सहारा समिति दिल्ली एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तात्वाधान में आज एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मंगोलपुरी के कैशल विकास प्रषिक्षण केन्द्र में किया गया। जिसमें विकलांग सहारा समिति दिल्ली ने बाल विवाह के खिलाफ छात्रों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद संस्था के संस्थापक श्री कपिल कुमार अग्रवाल ने बाल विवाह पर गंभीर चर्चा की। संस्था के संस्थापक श्री कपिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसा करने पर दोषी को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा विवाह में शामिल सभी लोग भी दोषी ठहराए जा सकते हैं। संस्था के संस्थापक श्री कपिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि बाल विवाह की रिपोर्ट या शिकायत किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी, बाल कल्याण समिति, जिलाधिकारी, कोर्ट या चाइल्डलाइन नंबर 1098 पर की जा सकती है। यदि शिकायत के बावजूद बाल विवाह हो जाता है, तो बच्चा अदालत का दरवाजा खटखटा–कर विवाह समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। कपिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिए प्रथम श्रेणी के नायक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से एक निषेध आदेश प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस, बाल कल्याण समिति, बाल विवाह निषेध अधिकारी, चाइल्ड–लाइन या गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है। संस्था के संस्थापक श्री कपिल कुमार अग्रवाल ने यह भी बताया कि बाल विवाह एक संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध है। यदि कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र की लड़की से विवाह करता है, तो उस पर पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने यह संकल्प लिया कि बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में माता–पिता और समुदाय को जागरूक किया जाएगा और इसके खिलाफ एक सामूहिक आवाज उठाई जाएगी।

प्रोग्राम ऑफिसर

कार्यक्रम की कुछ झलकियां